भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 417
उत्तर देने की तारीख: 21.07.2026

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

417. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्यरत अनेक संगठनों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब संबंधी चिंताएं व्यक्त की गई हैं और यदि हां, तो निधियों के संवितरण की दक्षता तथा पारदर्शिता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या मादक पदार्थों का दुरुपयोग, विशेषकर युवाओं के बीच, एक बढ़ती हुई जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक चिंता के रूप में उभरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा नशामुक्ति सेवाओं तक पहुंच का विस्तार तथा विद्यमान पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार किया जा रहा है; और

(घ) क्या वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद अब भी मैला ढोने की प्रथा के मामले सामने आ रहे हैं और यदि हां, तो चूक करने वाली एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, जिनके अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन/लाभार्थियों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित किया है कि प्रस्तावों का समय पर निस्तारण हो तथा निधियों का समयबद्ध तरीके से संवितरण किया जाए। संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है ताकि विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं–एनएपीडीडीआर (ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना) और एवीवाईएवाई (अटल वयो अभ्युदय योजना)–के क्रियान्वयन में हमारे साझेदार के रूप में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को समय पर निधियां जारी की जा सके। संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया ने दस्तावेजों संबंधी कई आवश्यकताओं को कम करके निधियां जारी करने की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुव्यवस्थित बना दिया है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की व्यापकता एवं पैटर्न पर प्रथम व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से दिसंबर, 2017 से अक्टूबर, 2018 के दौरान आयोजित किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट फरवरी, 2019 में प्रकाशित की गई थी

"सर्वेक्षण के अनुसार, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग का विवरण निम्नानुसार है:-"

नशीले पदार्थों	बालक एवं किशोर (10-17 वर्ष)		वयस्क (18-75 वर्ष)	
	विद्यमानता (%में)	**उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या**	**विद्यमानता (%में)**	**उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या**
अल्कोहल	1.30	30,00,000	17.10	15,10,00,000
भांग	0.90	20,00,000	3.30	2,90,00,000
ओपिओइड	1.80	40,00,000	2.10	1,90,00,000
शामक	0.58	20,00,000	1.21	1,10,00,000
इन्हेलेंट	1.17	30,00,000	0.58	60,00,000
कोकीन	0.06	2,00,000	0.11	10,00,000
एटीएस	0.18	4,00,000	0.18	20,00,000
हेलुसिनोजन	0.07	2,00,000	0.13	20,00,000

नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए देश का नोडल मंत्रालय होने के नाते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या से निपटने हेतु ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)' नामक केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है और उसका कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-"

i. निवारक शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु कार्यक्रम आदि के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को।

ii. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए), सहकर्मियों के नेतृत्व वाला समुदाय आधारित हस्तक्षेप (सीपीएलआई), आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्रों (ओडीआईसी) तथा जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के संचालन एवं रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को।

iii. नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

वर्तमान में, मंत्रालय द्वारा एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत 344 आईआरसीए, 45 सीपीएलआई, 76 ओडीआईसी, 145 डीडीएसी तथा 155 एटीएफ को सहायता प्रदान की जा रही है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चिन्हित 272 सर्वाधिक संवेदनशील जिलों में 15 अगस्त, 2020 को 'नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए)' का शुभारंभ किया गया था। अगस्त, 2023 से एनएमबीए का विस्तार देश के सभी जिलों तक कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनमानस तक पहुंच बनाना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और विद्यालयों पर विशेष ध्यान देते हुए नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाना है।"

सभी राज्यों के निरंतर सहयोग से, एनएमबीए के अंतर्गत देशभर में आयोजित व्यापक जागरूकता एवं पहुंच गतिविधियों के माध्यम से 11.05 करोड़ से अधिक युवाओं तथा

7.81 करोड़ महिलाओं सहित 29.05 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाई गई है और उन्हें जागरूक बनाया गया है। अभियान से 1.17 लाख 'नशा मुक्ति मित्र' जुड़ चुके हैं।"

(ग): नशामुक्ति संबंधी प्रयासों का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। योजना के अंतर्गत नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से पीडित व्यक्तियों के लिए उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में, मंत्रालय द्वारा एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत 344 आईआरसीए, 45 सीपीएलआई, 76 ओडीआईसी, 145 डीडीएसी तथा 155 एटीएफ को सहायता प्रदान की जा रही है। इन केंद्रों को आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जियोटैग- किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएमबीए 2.0 मोबाइल ऐप भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता निकटतम नशामुक्ति केंद्र की पहचान कर सकते हैं, जिससे त्वरित रेफरल तथा उपचार सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होती है।

नशामुक्ति सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान देशभर के कमी वाले जिलों में 55 नए जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 21 जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित किए गए हैं। पिछले वर्षों के दौरान नशामुक्ति केंद्रों तथा लाभार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान पुनर्वास योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए दिसंबर, 2024 में मैसर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तथा वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा तृतीय पक्ष-मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) ने नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा संस्थागत स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

(घ): हाल ही में, ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के प्रावधानों के अनुसार फरवरी, 2024 से जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का एक नया सर्वेक्षण कराया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला व्यक्ति नहीं पाया गया।
